न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 49/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/122

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
मांगीलाल दत्तक पुत्र देवीलाल, जाति जाट, निवासी गांगवा, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।	बनाम	1. पटवारी, पटवारी हल्का गांगवा। 2. तहसीलदार, परबतसर।

अपील अधीन धारा 75 एल.आर.एक्ट
अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.05.2025 तहसीलदार, परबतसर पीठासीन अधिकारी हरेन्द्र सिंह आर.टी.एस. राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2025 बअनुवान सरकार बनाम मांगीलाल अर्न्तगत 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः 18.02.2026

अपीलान्ट की ओर से अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः– ग्रामवासी गांगवा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार आपसी विवाद के कारण रास्ता बन्द कर दिया गया है। यह रास्ता खसरा नम्बर 709, 710 व 711 की सीमा पर स्थित है। यह रास्ता खसरा नम्बर 707 बान्ध है जिस पर जाता है इस रास्ते के बन्द होने के कारण ढ़ाणियों के लोगों का व खेत मालिकों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित है वगैरह पेश किया गया जिस पर तहसीलदार परबतसर ने दिनांक 16.04.2025 को प्रकरण संख्या 01/2025 दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। नोटिस पर अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें आवेदन में वर्णित तथ्यों को इन्कार किया गया एवं जवाब में यह अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 709 व 710 के खातेदारों के विरूद्ध किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की हैं। खसरा नम्बर 711 के पूर्व दिशा की तरफ कटाणी रास्ता है तथा पश्चिम में बान्ध की पाल है एवं शिकायत में बान्ध के पाल के पश्चिम दिशा में बसी हुई ढ़ाणियां व खेत मालिक का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होना बताया है एवं जवाब में यह भी अंकन किया है कि पटवारी ने गलत रिपोर्ट तैयार की है व अन्य तथ्य जो पत्रावली के साथ जवाब पेश किया है उस में पेश किये है उक्त जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 09.05.2025 को उक्त प्रकरण का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट की आपत्ति भी पेश की हुई है उस पर भी कोई गौर नहीं किया जिस में कटाणी रास्ता बान्ध की पाल तक पुराना रास्ता दर्शाया है व बान्ध की पाल तक किसी प्रकार की कोई ढ़ाणियां अवस्थित नहीं है। यदि बान्ध की पाल तोड़ी जाती है तो आसपास का क्षेत्र बाढ़ में डूबने की पुरी सम्भावना है व प्रार्थी की फसलात भी नष्ट होने की पुरी सम्भावना है इस तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। तहसीलदार परबतसर ने अपने निर्णय दिनांक 09.05.2025 को पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है। तहसीलदार परबतसर का पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उक्त निर्णय में किसी स्थान पर मुकदमें के नम्बर व वर्ष का अंकन नहीं है, न ही किस खसरे नम्बरान से कितनी लम्बाई का व कितनी चौड़ाई का सुखाधिकार के तहत रास्ता दिया है ऐसा कोई अंकन है न ही अधिनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी व शिकायतकर्ता के कोई बयान लिये है।

अतः अपील अपीलार्थी की स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार परबतसर के प्रकरण संख्या 01/2025 बअनुवान सरकार बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/478 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी परबतसर के पत्र क्रमांक 2025/जांच/2256 दिनांक 31.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 24.02.2025 की हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार मौके के खसरा न0 711 की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ कदीमी रास्ता चालू था, उक्त रास्ते के दोनो और मेड बंदी हो रखी थी तथा रास्ते के दक्षिणी पश्चिमी' सिरे की लकडियां डालकर बंद कर रखा था, उक्त कदीमी रास्ता निजी खातेदारी भूमि में दर्ज था, जबकि राजस्व रिकॉर्ड, में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। दिनांक 27.02. 2025 को उक्त प्रचलित कदमी रास्ते की मेड बंदी तोडकर खुर्द बुर्द की सूचना मिलने पर तहसीलदार परबतसर द्वारा हल्का पटवारी गांगवा को मौके पर भेजकर मौके की जांच करवाई गई जिसके अनुसार मौके पर खसरा न0 711 के खातेदार मांगीलाल दत्तक पुत्र देवाराम जाति जाट द्वारा जेसीबी की मदद से मेड बंदी तोडकर रास्ते को खुर्द बुर्द करना पाया गया मौके पर जेसीबी को बंद करवाकर पटवारी द्वारा खातेदार को कदमी रास्ते व मेड बंदी को खुर्द बुर्द करना पाया गया मौके पर जेसीबी को बंद करवाकर पटवारी द्वारा खातेदार को कदमी रास्ते व मेड बंदी को खुर्द बुर्द नही करने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 07.04.2025 को तहसीलदार के निर्देशन में भू–अभिलेख निरीक्षक मंगलाना, पटवारी गांगवा/खोखर/मंगलाना राजस्व टीम द्वारा मय पुलिस जाब्ता जेसीबी की सहायता से प्रचलित कदमी रास्ते को आंशिक रूप से खुलवाया गया। मौके पर सरपंच प्रतिनिध ग्राम पंचायत गांगवा भी उपस्थित रहे। उक्त समय मौके पर खातेदार व महिलाओं द्वारा जेसीबी को रोका गया मौके पर विरोध बढने एवं महिला पुलिस जाब्ता नही होने के कारण रास्ते को पूर्ण रूप से नही खुलवाया जा सका तथा रास्ते, पर निर्मित टिन शेड को भी नही हटवाया जा सका। अतः उक्त प्रचलित कदमी रास्ता प्रकरण को [illegible] काश्तकारी अधि० 1955 की धारा 251 (सुखाचार अधिकार) के तहत माननीय न्यायालय तहसीलदार परबतसर ने दर्ज कर विविधत सुनवाई की जाकर दिनांक [illegible]05.2025 को निर्णय किया गया। दिनांक 16.06.2025 को तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

राजस्व/2025/814 दिनांक 09. 06.2025 की पालना में गांगवा के खसरा न० 711 रकबा 2.78 है० किस्म बारानी 1 की दक्षिणी सीमा के सहारे प्रचलित कदमी रास्ते को तहसीलदार परबतसर की उपस्थिति व निर्देशन में भू–अभिलेख निरीक्षक मंगलाना एवं हल्का पटवारी गांगवा/खोखर/मंगलाना/रूणिजा/रोहिण्डी मय पुलिस जाब्ता जेसीबी द्वारा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर खुलवाया गया, पश्चिम दिशा के अंतिम छोर पर पाबंद के बाद सीमेंट के ब्लॉक पर लगे अस्थायी टीनशेड को हटाकर सुखाधिकार के तहत रास्ता खोला गया एवं रास्ते को पुनः अवरूद्व नही करने हेतु खातेदार एवं परिवार वालों को पाबंद किया गया। दिनांक 07.04.2025 को भू–निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा लोहे का गेट हटाने एवं रास्ता खुलवाने के संबंध में श्री मांगीलाल दत्तक पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी गांगवा को किसी प्रकार का नोटिस/सूचना नही दी गई। ग्राम गांगवा के खसरा न० 711 में खुलवाये गये कदीमी रास्ते का नाप के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया गया। बांध की पाल के ऊपर से आगे रास्ता जा रहा है। सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड परबतसर द्वारा अपने पत्रांक 175 दिनांक 16.06.2025 को तहसीलदार महोदय परबतसर द्वारा खसरा न0. 711 से होकर 707 खसरा संख्या जो बांध की पाल का है जिस पर रास्ता बनाया जा रहा है। जो कि राजस्थान सिचाई एवं निकासी अधि० 1954 की धारा 21 एवं 22 कष्ट उल्लंघन है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी परबतसर से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अप्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस/सूचना नहीं दी गई तथा ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 711 में खुलवाये गये कदीमी रास्ते का नाप के सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं किया गया एवं खसरा नम्बर 711 से होकर खसरा संख्या 707 जो बान्ध की पाल का है जिस पर रास्ता बनाया जा रहा है जो कि राजस्थान सिचाई एवं निकासी अधिनियम 1954 की धारा 21 एवं 22 कष्ट उल्लंघन है। अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 मुकदमा नं0 01/2025 बउनवान सरकार बनाम मांगीलाल प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणवगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **18.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18.02.2026

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:22 IST
Reason: SelfAttested